संचिका सं०-11/विविध-06-01/2014

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री रामप्रवेश राय इस्टेट प्रा०लि०, गॉहरूआ हाउस, श्रीनगर, सिवान पत्राचार का पता-हाउस सं०-44, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना-800013 के द्वारा सारण बॉध मगरपाल छडकी सड़क कार्य से संबंधित कार्य का एकरारनामा सं०-01 एस०बी०डी०/07-08 दि०-8/9/08 कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल, छपरा से किया गया था । इस कार्य के लिए कम्पनी द्वारा अग्रधन के रूप में तथा मोबाइलजेशन अग्रिम एवं यंत्र-संयत्र औजार इत्यादि के अग्रिम हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अम्बारा चौक, मुजफ्फरपुर से निर्गत कुल-10 अदद बैंक गारंटी दी गयी थी, जिसकी कुल राशि रू० 3,48,40,739 रूपया है । इसके विरूद्ध मोबालाइजेशन अग्रिम रू०-1.50 करोड तथा औजार, यंत्र-संयत्र के रूप में अग्रिम रू०-87.10 लाख मार्च 2008 तक कम्पनी को दिया गया । अग्रिम एवं कटौतियों के समायोजन के पश्चात दि० 01/08/2009 तक सूद सहित कुल बकाया राशि रू० 2787 करोड़ रह गया । एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 31/05/2009 थी । क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा काफी प्रयास किए जाने के बावजूद एकरारनामा अवधि की समाप्ति तक मात्र 19% ही कार्य हो पाया । कार्य को पूरा करने हेतु समय वृद्धि भी प्रदान की गयी, लेकिन उक्त समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा दि० 15/03/2010 को एकरारनामा को विखण्डित कर दिया गया । इस कार्य में कम्पनी के विरूद्ध बैंक के शाखा प्रबंधक से मिलीभगत कर फर्जी बैंक गारन्टी जमा करने, बैंक गारन्टी का नवीकरण नहीं करने तथा कार्यो को पूर्ण नहीं करने एवं सरकारी राशि का गबन करने संबंधी प्रमाणित आरोपों के सन्दर्भ में विभागीय पत्र सं०-6210 दि० 08/12/14 द्वारा राम प्रवेश राय इस्टेट प्रा०लि० से कारणपृच्छा की गयी ।

कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये जबाव की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी । समीक्षा में कम्पनी द्वारा फर्जी बैंक गारन्टी जमा करने एवं क्षेत्रीय पदाधिकरियों द्वारा काफी प्रयास के बावजूद कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने का कृत्य प्रमाणित पाया गया ।

चूँकि राम प्रवेश राय इस्टेट प्रा०लि०, 44 पाटलीपुत्रा कॉलोनी पटना-800013 जल संसाधन विभाग में वर्त्तमान में निबंधित नहीं है इसलिए उक्त कम्पनी (राम प्रवेश राय इस्टेट प्रा०लि०), को भविष्य में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में निबंधित नहीं करने का निर्णय लिया जाता है ।

ह०/-
अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक - 796 दिनांक- 11.02.15

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग /प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग /सचिव, भवन निर्माण विभाग /सचिव, लघु जल संसाधन विभाग /सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग /सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग /निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन, निदेशालय /अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-2, 3 एवं बाढ़(मो०) /आई०टी० मैनेजर को बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अभियंता प्रमुख (मध्य)
11/2/15

(17)

(5)

मु० अभि०
यो०मो०